



-प्रेस नोट-

दिनांक 12.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 फ्रूटी पाउच

अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.09.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **प्रवेज पुत्र अफजाल निवासी पुल खुमरान भाभा सराय थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** को मछली पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 20 फ्रूटी ग्रैन्ड मस्ती देशी शराब मसाला शीरा निर्मित देशी मदिरा 30 प्र0 मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 187/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रवेज पुत्र अफजाल निवासी पुल खुमरान भाभा सराय थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 20 फ्रूटी पाउच अवैध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक श्री मुमताज खान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.9.25 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **इन्तजार उर्फ गुल्लू पुत्र महफूज निवासी मौहल्ला ताहिर गार्डन निकट खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को वाद संख्या – 523/23 धारा 125(3) सीआरपीसी एक्ट चालानी कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर (मा0 न्यायालय फैमली कोर्ट जनपद सहारनपुर) को खाताखेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

इन्तजार उर्फ गुल्लू पुत्र महफूज निवासी मौहल्ला ताहिर गार्डन निकट खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. का0 2245 अंशु थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का0 1627 अमित कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



दिनांक: 12.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नानौता पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है दिनांक 10.09.2025 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर तहरीर दी, जिस पर थाना नानौता पर तत्काल मु0अ0सं0 217/25 धारा 332(बी)/64(1)/352/351(3) बीएनएस 3/4 पोक्सो अधि0 के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अपराधी की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 217/25 धारा 332(बी)/64(1)/352/351(3) बीएनएस 3/4 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त **अनुज पुत्र रामकिशन ग्राम डुम्भर किशनपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर** को रुहाडा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनुज पुत्र रामकिशन ग्राम डुम्भर किशनपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 205 विपिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 129 निपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/ वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.09.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारण्टी सागर पुत्र अदल निवासी चन्देनामाल थाना थानाभवन जिला शामली सम्बन्धित वाद संख्या एस.सी. न0 62/2025 व मु0अ0स0 029/24 धारा 307/379/511/414/34 भादवि व 3/25/27 आर्म एक्ट व 4/25 आर्म एक्ट को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

सागर पुत्र अदल निवासी चन्देनामाल थाना थानाभवन जिला शामलौ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

5. उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. है0का0 728 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. है0का0 106 विक्रान्त मान थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अवैध शराब व नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री सन्तोष त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 12.09.2025 को पुलिस चैकिंग के दौरान अभियुक्त **हारून पुत्र याकूब निवासी मौ0 बन्जारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ईदगाह के पास कस्बा नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा बरामद हुई। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 365/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

अभियुक्त हारून पुत्र याकूब निवासी मौ0 बन्जारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 320 तरुण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 12.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा आपरेशन क्लीन-2 के अन्तर्गत माल मुकदमाती 92 वाहनो की नीलामी कर कुल 11,20,000/- रुपये (जीएसटी सहित 13,21,600/-रु0) राजस्व किया गया प्राप्त।

सादर अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन क्लीन -2 के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 30.08.2025 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा 1.उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड़ 2.सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर 3.क्षेत्राधिकारी नकुड़ 4.प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ की कमेटी गठित की गयी थी। श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय नकुड़ द्वारा नामित श्री विजय कुमार नायब तहसीलदार नकुड़, श्री अशोक कुमार सिसौदिया क्षेत्राधिकारी नकुड़, श्री रोहित सिंह आर.आई. परिवहन विभाग की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री सन्तोष कुमार त्यागी, व0उ0नि0 प्रदीप कुमार चीमा एवं हैड मोहर्रि मनोज कुमार द्वारा उपरोक्त वाहनों की न्यूनतम मूल्य निर्धारित कराया गया जिसमें आरटीओ कार्यालय द्वारा उपरोक्त वाहनों की कुल बिक्री मूल्य 4,05,800/- रुपये निर्धारित की गयी थी जिनकी नीलामी का आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त कर आज दिनांक 12.09.2025 को उपरोक्त वाहनों की पूर्व कार्यक्रमानुसार थाना नकुड़ परिसर में नीलामी करायी गयी जिसमें कुल 57 बोली दाताओं द्वारा नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया गया तथा उच्चतम बोली 11,20,000/- रुपये जो मय जीएसटी के 13,21,600/- रुपये है, में सर्वाधिक उच्च बोली दाता **श्री नौशाद पुत्र कालू निवासी मौ0 शेखजादगान करबा व थाना ननौता जनपद सहारनपुर** के हक में नीलामी छोड़ी गयी।

नीलाम हुए वाहनो का विवरण

चार पहिया- 08 वाहन
तीन पहिया वाहन- 01 वाहन
दो पहिया वाहन- 83 वाहन
कुल वाहन- 92 वाहन

नीलाम कराने वाली टीम का विवरण –

1. श्री अशोक कुमार सिसौदिया, क्षेत्राधिकारी नकुड़, सहारनपुर
2. श्री सन्तोष कुमार त्यागी, प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. श्री विजय कुमार, नायब तहसीलदार नकुड़, सहारनपुर
4. श्री रोहित सिंह, आर.आई. परिवहन विभाग, सहारनपुर
5. श्री प्रदीप कुमार चीमा, व0उ0नि0 थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. हैड मोहर्रि 42 मनोज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. कं0 आपरेटर हर्षित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिक को मात्र 02 घंटे में तलाश कर उसके
परिजनों को किया सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 12.09.2025 को वादी मौ० राशिद पुत्र जरीफ अहमद निवासी कम्बोह का पुल थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर सूचना दी कि एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 2 वर्ष है कम्बोह के पुल पर मिला है।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा निरीक्षक श्री मुमताज खान द्वारा गुमशुदा की तलाश हेतु चलाये जा रहे अभियान „**आपरेशन मुस्कान**„ के तहत तत्काल थाना पुलिस द्वारा बच्चों के परिजनों की तलाश कर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बच्चों के प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुए मात्र 02 घंटे में गुमशुदा नाबालिग बच्चे के परिजनों का पता लगाया गया तथा बच्चों को उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री मुमताज खान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है०का० 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक - जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 मंनचले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व मनचलें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एण्टी रोमियो टीम के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री सुनील कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.09.2025 को थाना बडगाँव पुलिस 01 मंनचले अभियुक्त **अभिषेक उर्फ सन्नी पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** को आदर्श जनता इण्टर कालिज के पास जडौदा पाण्डा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0स0 196/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

अभिषेक उर्फ सन्नी पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

- 1- श्री सुनील कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री ब्रह्मगिरि थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 3- म0उ0नि0 दीक्षा चौधरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 4- म0है0का0 1222 मीनू यादव थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 5- म0का0 79 संगिता शर्मा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर



दिनांक: 12.09.2025

-प्रेस नोट-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रु० के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 17.06.2019 को वादिया निवासी चाँद मस्जिद मौ० रमजानपुरा थाना को०देहात जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अहसान पुत्र अलीहसन नि० चाँद मस्जिद मौ० रमजानपुरा थाना को०देहात जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना तथा वादिया की माँ के साथ मारपीट करना व धमकी देने की सूचना पर थाना को०देहात पर मु०अ०स०-291/2019 धारा 323,376,506,भादवि व 5एन/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं०-38/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 11.09.2025 को अभियुक्त अहसान पुत्र अलीहसन निवासी चाँद मस्जिद मौ० रमजानपुरा थाना को०देहात जनपद सहारनपुर को थाना को०देहात पर पंजीकृत मु०अ०स०-291/2019 धारा 323,376(2)F,506,भादवि व 5एन/6 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्रीमती चंचल पुण्डीर

विवेचक- उ०नि० श्री राजकुमार

पैरोकार-का० 2328 कौशल थाना को०देहात सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.9.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाले 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्री मनीष पुत्र रोहिताश ग्राम सढोली हरिया थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के अभि० गण द्वारा वादी व मजदूरो के साथ मारपीट कर निर्माणाधीन मकान गिरा देना व फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर कूटरचित बैनावा तैयार कर प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियुक्त संबंधित मु०अ०सं० 55/2023 धारा 420/467/468/471/120बी आईपीसी पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यावाही करते हुए दिनांक 12.09.2025 को अभियुक्त गौरव पांचाल पुत्र स्व० जोगिन्दर पांचाल निवासी पेपर मिल रोड ब्रिजेश नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को मस्कन से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय में पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

गौरव पांचाल पुत्र स्व० जोगिन्दर पांचाल निवासी पेपर मिल रोड ब्रिजेश नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० विपिन कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
2. का० 1340 पुष्पेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का० 240 सोनू थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।